

# न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मु0नं0 दावा 111/2017

तारीख रजू 04.09.2017

उनवान

किशनलाल उग्र 62 वर्ष पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवारी जैसनी तहसील  
टोडाभीम जिला करौली

-वादी

वनाम

- 1.जगराम पुत्र मोहरपाल जाति मीना निवारी जैसनी तहसील टोडाभीम जिला करौली
- 2.तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा

88 राज0टे0एक्ट व धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट


उपस्थिति - श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट -पक्षवादी

एकतरफा कार्यवाही - प्रतिवादीगण


निर्णय

दिनांक 17.04.2018

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह है कि भूमि खाता संख्या 8 में वर्णित खसरा नम्बरान 379, 380/898, 380/899, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 415, 418 कुल कित्ता 33 कुल क्षेत्रफल 6.00 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम में स्थित है। हॉल रेवन्यू रिकार्ड जमावंदी में खातेदारी भोला वेवा मोहरपाल, रामकिशन पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/6 दर्ज है खाता संख्या 9 में वर्णित खसरा नम्बरान 392, 411, 412, 413, 416, 417, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 518, 521, 522, 524, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/931, 682/925, 684/928, 685/929, 686/930, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 700/924, 701, 702,

  
उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)


703, 704, 705, 706, 707/926, 707/927, 708, 709, 716, 719, 720, 723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732/914, 733/915, 734/916, 737/910, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 781, 782, 785, 787, 788, 789, 793, 795, 797, 798, 801, 803, 806, 807, 808, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 828, 829 कुल किता 153 कुल क्षेत्रफल 18.09 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम में स्थित है। हॉल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी जगराम पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/12, भोला बेवा मोहरपाल, रामकिशन पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/6 दर्ज है तथा खाता संख्या 61 में वर्णित खसरा नम्बरान 589, 590, 591, 621, 622, 623, 624, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 कुल किता 20 कुल क्षेत्रफल 4.24 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम में स्थित है। हॉल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी भोला बेवा मोहरपाल, रामकिशन पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/3, जगराम पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/6 दर्ज है। भोला बेवा मोहरपाल की मृत्यु हो चुकी है उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस उसके पुत्र ही है। वादी का सही नाम किशनलाल पुत्र मोहरपाल है तथा ग्राम जैसनी में भी वादी की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 17 है जिसमें किशनलाल ही दर्ज है तथा वादी के परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि में किशनलाल नाम ही दर्ज है इस प्रकार रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में रामकिशन के स्थान पर किशनलाल दर्ज होना है। टोडाभीम तहसील में भू प्रबंध का कार्य हुआ था दौरान सेटलमेंट की गलती से भू प्रबंध विभाग ने ग्राम झूनकी की भूमि में किशनलाल के स्थान पर रामकिशन दर्ज कर दिया है जिसका दुरस्त होना आवश्यक है, वादी का रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने के कारण के0सी0सी0 या अन्य सरकारी लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं ना ही आधार कार्ड से लिंक हो रहा है। वादी ने तहसीलदारजी टोडाभीम से दिनांक 11.08.2017 को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि रिकार्ड जमाबंदी में हमारा नाम सही कर दो इस पर उन्होंने कहा कि दुरस्ती का दावा पेश करो तभी तूम्हारे नाम दुरस्ती हो सकती है इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरस्ती नाम डिक्री किया जाकर भूमि खाता संख्या 8 में वर्णित खसरा नम्बरान 379, 380/898, 380/899, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,

  
 उप जिला कलक्टर  
 टोडाभीम (करौली)

407, 408, 409, 410, 415, 418 कुल किता 33 कुल क्षेत्रफल 6.00 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम तथा खाता संख्या 9 में वर्णित खसरा नम्बरान 392, 411, 412, 413, 416, 417, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 518, 521, 522, 524, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/931, 682/925, 684/928, 685/929, 686/930, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 700/924, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707/926, 707/927, 708, 709, 716, 719, 720, 723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732/914, 733/915, 734/916, 737/910, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 781, 782, 785, 787, 788, 789, 793, 795, 797, 798, 801, 803, 806, 807, 808, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 828, 829 कुल किता 153 कुल क्षेत्रफल 18.09 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम में तथा खाता संख्या 61 में वर्णित खसरा नम्बरान 589, 590, 591, 621, 622, 623, 624, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 कुल किता 20 कुल क्षेत्रफल 4.24 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम में दर्ज नाम रामकिशन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर किशनलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज किया जावे। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर सम्मन प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुये, एकतरफा कार्यवाही की गई। वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजात में नकल जमाबंदी, नकल परिवार राशन कार्ड, परिचय पत्र, भारत निर्वाचन आयोग, आधार कार्ड, नकल नामान्तकरण ग्राम जैसनी व झूनकी पेश की है।

दौराने बहस वादी ने कथन किया कि यह भूमि वादी को अपने पिता मोहरपाल पुत्र फोदे से विरासत में मिली है। ग्राम जैसनी में विरासत के आधार पर सही नाम किशनलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज है जबकि ग्राम झूनकी में रामकिशन पुत्र मोहरपाल दर्ज हो गया है जबकि सही नाम किशनलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज होना चाहिये। यह एक नाम की क्लेरिकल मिस्टेक है तथा नाम दुरस्ती का दावा है इसलिये रामकिशन के स्थान पर किशनलाल दर्ज कर दिया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस सुनी। यह भूमि वादी को अपने पिता से विरासत में मिली है। ग्राम झूनकी की भूमि में रामकिशन पुत्र मोहरपाल दर्ज है जबकि ग्राम जैसनी की भूमि में किशनलाल पुत्र



उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

मोहरपाल दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजात मे किशनलाल पुत्र मोहरपाल नाम ह मामला नाम शुद्धि का है। वादी का दावा काविले डिकि पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वावत् इस्तकररहक इन्द्रा दुरस्ती नाम डिक्री किया जाकर भूमि खाता संख्या 8 मे वर्णित खसरा नम्बरान 379, 380/898, 380/899, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 415, 418 कुल कित्ता 33 कुल क्षेत्रफल 6.00 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम तथा खाता संख्या 9 मे वर्णित खसरा नम्बरान 392, 411, 412, 413, 416, 417, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 518, 521, 522, 524, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/931, 682/925, 684/928, 685/929, 686/930, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 700/924, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707/926, 707/927, 708, 709, 716, 719, 720, 723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732/914, 733/915, 734/916, 737/910, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 781, 782, 785, 787, 788, 789, 793, 795, 797, 798, 801, 803, 806, 807, 808, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 828, 829 कुल कित्ता 153 कुल क्षेत्रफल 18.09 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम मे तथा खाता संख्या 61 मे वर्णित खसरा नम्बरान 589, 590, 591, 621, 622, 623, 624, 625, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 कुल कित्ता 20 कुल क्षेत्रफल 4.24 हेक्टर स्थित ग्राम झूनकी तहसील टोडाभीम मे दर्ज नाम रामकिशन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर किशनलाल पुत्र मोहरपाल दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति भेजकर रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में उपरोक्तानुसार नाम दर्ज करे। पर्चा फाईनल डिकि जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।



(जगदीश आर्य)  
उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)